न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहुजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 509/2017

1. कृष्ण लाल पुत्र श्री रामचन्द जाति जाट साकिन चक 11 एल एल. ततारसर ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – प्रार्थी

–:: बनाम ::–

1. नेतराम पुत्र श्री रामचन्द जाति जाट साकिन चक 11 एल एल. ततारसर ढाणी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. स्टेट आफॅ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर।

– – अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) राजस्थान काष्तकारी अधिनियम 1955

बाबत रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

– :: निर्णय ::– दिनांक :– 20.11.2017

प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 2 के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के नाम चक 11 एल एल तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा न0 50 में किला न0 1 ता 10 सालम सालम 13 ता 25 कुल 24 बीघा रकबा राजस्व रिकार्ड दर्ज है। एंव अप्रार्थी के नाम चक 11 एल एल तह0 श्रीगंगानगर को मुरब्बा न0 50 कि किला न0 11, 12 का 0.253 हैक्टे0 नहरी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी मुरब्बा न0 50 के किला न0 13 में ढाणी बनी हुई है तथा अप्रार्थी सं0 1 के किला न0 12 में ढाणी बनी हुई है। उक्त ढाणी भूमि में आने जाने के लिए कोई रास्ता स्वीकृत नहीं है। प्रार्थी मुरब्बा न0 50 के किला न0 11–12 में प्रत्येक के 1–1/2 बिस्वा 1–1/2 उतरी दिशा में चालू रास्ता से आते जाते हैं लेकिन राजस्व रिकार्ड में रास्ता मंजूर नहीं है। नायब तहसीलदार द्वारा जांच रिपोर्ट में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कथन की पुष्टि कर दोनों पक्षकार की सहमति होना व्यक्त किया है तथा चक 11 एल एल तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा न0 50 के किला न0 11–12 में प्रत्येक के 1–1/2 बिस्वा 1–1/2 बिस्वा उतरी दिशा की तरफ चालू रास्ता स्वीकृत करने की अनुशंषा की है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एंव रिपोर्ट नायब तहसीलदार पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया गया।

अतः चक 11 एल एल तहसील श्रीगंगानगर का मुरब्बा न0 50 के किला न0 11–12 में प्रत्येक के 1–1/2 बिस्वा 1–1/2 बिस्वा उतरी दिशा की तरफ चालू रास्ता स्वीकृत किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अंकन किया जावे।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

यह आदेश आज दिनांक **20.11.2017** को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहुजा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर